

जी वी के पावर (गोइंदवालसाहिब) लिमिटेड ,
पाएगा हाउस सरदार पटेल मार्ग ,सिकंदराबाद - 500003

सार्वजनिक सूचना

जी वी के (GVK) पावर गोइंदवाल साहिब द्वार PSERC के समक्ष 540 (2X270) मेगा वाट जी वी के पावर (गोइंदवाल साहिब) थर्मल पावर परियोजना हेतु, पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग (जेनरेशन, ट्रांसमिशन, व्हीलिंग और रिटेल सप्लाई टैरिफ के निर्धारण के नियम और शर्तों) विनियम, 2014 के रेगुलेशन 9 & 10 अंतर्गत , टैरिफ कण्ट्रोल अवधि वित्तवर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के सन्दर्भ में बहु वर्षीय टैरिफ (MYT)अवधारित करने हेतु पूंजी निवेश योजन (CIP) व्यापारिक योजना(BP) के अनुमोदन के लिए , दाखिल रिव्यु याचिका 70/2017 के सन्दर्भ में जान साधारण / हितग्राहियों से आपत्तियां/टिपण्णी /सुझाव आमंत्रित हैं।

- १ सभी को सूचित किया जाता है कि जी वी के पावर गोइंदवाल साहिब द्वारा माननीय आयोग के समक्ष पूंजी निवेश योजना (CIP) व्यापारिक योजना (BP) के अनुमोदन के लिए रिव्यु याचिका 70/17 दाखिल कि गई है।
- २ याचिका GVK कि वेबसइट www.gvk.com और आयोग की वेबसइट www.pserc.nic.in पर उपलब्ध है और डाउनलोड की जा सकती है।
३. याचिका 70/17 के सन्दर्भ में आपत्तियां/टिपण्णी /सुझाव सहायक सामग्री के साथ सचिव, पंजाब राज्य विद्युत् विनियामक आयोग ,एस सी ओ 220-221 ,सेक्टर 34 A ,चंडीगढ़ ,के पास व्यक्तिगत रूप से अथवा रजिस्टरड डाक के माध्यम से दिनांक 15.03.2018 तक दाखिल /जमा किये जा सकते हैं। इसकी एक प्रति आवश्यक रूप से मुख्य अभियंता /ARR एवं TR ,F-4,शक्ति विहार PSPCL,पटियाला को प्रेषित की जाये तथा इसका प्रमाण आवश्यक रूप से सचिव, पंजाब राज्य विद्युत् विनियामक आयोग के पास दाखिल दस्तावेजों के साथ संलग्न करें। जी वी के द्वारा आपत्तियों पर टिपण्णी दिनांक 28.03.2018 तक जमा की जाये
4. आयोग के समक्ष आपत्तियां/टिपण्णी /सुझाव की 10 प्रतियां तथा इस की सॉफ्ट प्रति(soft copy) जमा की जाये। सभी प्रतियां आपत्तिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित हो तथा उसपर भेजने वाले का पूरा नाम और पता लिखा हो,यदि आपत्ति किसी संस्था अथवा अन्य श्रेणी के उपभोक्ता द्वारा जमा की जा रही है तो इसे अंकित करें।
5. आयोग द्वारा याचिका पर सुनवाई दिनांक 11.04.2018 को 11 बजे आयोग के कार्यालय में होगी,जन साधारण को भी इस दौरान सुना जायेगा,वे सभी आपत्तिकर्ता जिन्होंने अंतिम तिथि तक आयोग के समक्ष आपत्तियाँ दर्ज की है एवं अन्य व्यक्ति/संस्था जो उपरोक्त सन्दर्भ में अपना पक्ष / सुझाव प्रस्तुत करना चाहते हैं को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

- प्राधिकृत हस्ताक्षरी जी वी के (GVK)